अध्याय-III: आवर्तन एवं नामांकन

3.1 स्थापनाओं का आवर्तन

क.भ.नि.स. अधिनियम उस प्रत्येक स्थापना पर लागू होता है, जो कि अधिनियम की अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट गतिविधियों में से एक या अधिक या सरकारी राजपत्र में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य गतिविधि में व्यस्त है, और 20 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार पर रखा हुआ है। अधिनियम के अनुच्छेद 1 (4) के अंतर्गत स्थापनाएं जो कि वैसे तो अधिनियम के अंतर्गत आवृत्त नहीं है को भी नियोक्ता तथा अपने कर्मचारियों की बहुमत की आपसी सहमति के साथ स्वेच्छापूर्वक शामिल किया जा सकता है।

क.भ.नि. योजना के अंतर्गत, उद्योगों तथा स्थापनाओं की 187 श्रेणियाँ आवृत्त थी (मार्च 2012)। 2006-07 से 2011-12 के दौरान, क.भ.नि. योजना को कंप्यूटर का काम करने वाले उद्योगों और स्थापनाओं, जीवन बीमा प्रदान करने वाली कंपनियां, निजी हवाई पत्तन, इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम, आवास गृहों, सर्विस अपार्टमेंट, सम्मिलित अधिकार, नगर परिषद या निगम आदि को शामिल किया गया था।

क.भ.नि.यो. के अंतर्गत 6,91,237 स्थापनाएं आवृत्त थी (31 मार्च 2012 तक) । इसमें 6,88,487 बिना छूट-प्राप्त[1] और 2750 छूट-प्राप्त[2] स्थापनाएं शामिल थी। वे स्थापनाएं जिनको छूट प्राप्त नहीं है को क.भ.नि.सं. द्वारा सेवा प्रदान की जाती है तथा छूट प्राप्त स्थापनाओं की सेवा स्थापनाओं द्वारा स्वयं प्रदान की जाती है।

भारत में करीब 459 मिलियन के कुल कार्यबल में से, 27.55 (छह *प्रतिशत*) मिलियन कर्मचारी संगठित क्षेत्र में है (सार्वजनिक क्षेत्र में 17.67 मिलियन तथा निजी क्षेत्र में 9.87 मिलियन) तथा शेष 94 *प्रतिशत* असंगठित क्षेत्र में है। 31 मार्च 2012 तक, क.भ.नि. योजना के अंतर्गत 8,55,40,324 सदस्य आवृत्त थे जोकि कुल कार्यबल का 18.64 *प्रतिशत* था।

---

[1] बिना छूट-प्राप्त स्थापनाएं वह है जिन्हें क.भ.नि. योजना में शामिल किया गया है। (अनुच्छेद 1)

[2] छूट-प्राप्त स्थापना, वह स्थापना है जिसके लिए योजना के परिचालन (अनुच्छेद 2 (चचच)) से छूट प्रदान की गई है।

सदस्यों की कुल संख्या में से, 64.45 *प्रतिशत* नामतः तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली एवं हरियाणा पांच राज्यों में संकेन्द्रित है।

3.2 अनिवार्य आवर्तन-सर्वेक्षण

जैसा कि पहले बताया गया है, अधिनियम के प्रावधान प्रत्येक स्थापना पर लागू होते हैं जोकि अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग में लगी फैक्टरी है तथा जिसमें 20 या उससे अधिक व्यक्ति काम पर लगे हुए हैं और कोई अन्य स्थापना जिसमें 20 या अधिक लोग कार्यरत हों तथा जिसे केन्द्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे।

भविष्य निधि निरीक्षक से अपने क्षेत्र में अनावृत्त स्थापनाओं पर लगातार नजर रखना तथा जैसे ही उन पर अधिनियम लागू होता है उनके आवर्तन की अनुशंसा करना अपेक्षित है। नई स्थापनाओं के सक्षम आवर्तन के आकलन के लिए क.भ.नि.सं. के प्रवर्तन अधिकारी द्वारा सर्वेक्षणों का संचालन किया जाता है।

क.भ.नि.सं. मुख्यालय ने प्रत्येक प्रवर्तन अधिकारी के लिए उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक माह पांच स्थापनाओं के आवर्तन तथा प्रत्येक कार्यालय के लिए, पिछले वर्ष के मुकाबले स्थापनाओं की संख्या में 15 *प्रतिशत* की कुल वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया था (जनवरी 2009)।

वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान, जैसा कि नीचे दिया गया है, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, गोवा तथा दिल्ली राज्यों में जांचित क्षे.का./उ.क्षे.का. में, निर्धारित लक्ष्यों के प्रति कमियां 47 *प्रतिशत* तथा 58.82 *प्रतिशत* तक थी। अन्य क्षेत्रों/राज्यों के संबंध में पूरा डाटा/विवरण उपलब्ध नहीं था। नई स्थापनाओं के निरीक्षण में कमियों ने नई स्थापनाओं के शामिल होने को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया होगा।

तालिका 3.1: - आवर्तन तथा नामांकन का विवरण

वर्ष	वर्ष की शुरूआत में स्थापनाओं की संख्या	नई स्थापनाओं के नामांकन के लिए लक्ष्य (15 प्रतिशत)	नव नामांकित स्थापनाओं की संख्या	वर्ष के अंत में स्थापनाओं की संख्या	कमी	कमी का प्रतिशत
2009-10	198463	29769	15777	214240	13992	47.00
2010-11	214240	32136	15925	230165	16211	50.44
2011-12	230165	34525	14219	244384	20306	58.82

उपरोक्त मुद्दे पर क.भ.नि.सं. से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 2013)

3.3 स्वेच्छापूर्वक आवर्तन

एक स्थापना को नियोक्ता तथा कर्मचारियों के बहुमत की आपसी सहमति के साथ स्वेच्छापूर्वक आवृत्त किया जा सकता है (अधिनियम का अनुच्छेद 1 (4))। ऐसे मामलों में, सी.पी.एफ.सी., सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी कर देता है और कर्मचारियों को क.भ.नि. योजना के अनुसार सामाजिक सुरक्षा लाभ उपलब्ध हो जाते हैं। तथापि, इस प्रकार की अधिसूचना को जारी करने के लिए कोई समय सीमा नहीं थी।

लेखापरीक्षा ने नोट किया कि स्वेच्छापूर्वक आवर्तन के लिए आवेदनों की बड़ी संख्या केन्द्रीय कार्यालय तथा क्षे.का. के पास लंबित थी। 2006-07 और 2011-12 के बीच, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश से स्वेच्छापूर्वक आवर्तन हेतु आवेदनों के कुल 1352 मामलों में से केवल 79 मामलों में (5.84 प्रतिशत) अधिसूचनाएं जारी की गई थी। 31 मार्च 2012 तक, राजपत्र अधिसूचना को जारी करने के लिए केन्द्रीय कार्यालय के पास 314 मामलें लंबित थे तथा क्षे का. के पास 959 मामले लंबित थे।

लेखापरीक्षा में अन्य नमूना परीक्षित राज्यों में उल्लेखनीय देरी भी पाई गई थी जैसा कि नीचे दिया गया है:

- 2006-12 की अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल (क्षे.का.कोलकाता) में, 466 स्थापनाओं ने स्वेच्छापूर्वक आवर्तन हेतु आवेदन दिए थे, जिसमें से केवल तीन मामलों में अधिसूचनाएं जारी की गई थी। प्रवर्तन अधिकारी से अंतिम प्रायोज्यता की प्राप्ति न होने के कारण कथित तौर पर क्षे.का. ने अपने मुख्यालय को 448

मामलों की अनुशंसा नहीं की, और शेष 15 मामले केन्द्रीय कार्यालय के पास लंबित थे।

- केरल में (क्षे.का. तिरूवनंतपुरम) 177 स्वेच्छापूर्वक आवर्तन मामलों में, अधिसूचनाओं को जारी किया जाना लंबित था। इसमें से, 39 मामलों में, प्रवर्तन अधिकारियों ने निरीक्षण को संचालित नहीं किया था तथा शेष 138 मामले केन्द्रीय कार्यालय में लंबित थे।

- ओडिशा में, जबकि 83 स्थापनाओं ने स्वेच्छापूर्वक आवर्तन हेतु आवेदन दिया था, किन्तु 2006-12 के दौरान केवल 14 स्थापनाओं के लिए अधिसूचना जारी की गई थी।

- हरियाणा में, 60 से लेकर 120 महीनों तक की अवधि हेतु 31 मार्च 2012 तक स्वेच्छापूर्वक आवर्तन के 95 मामलें लंबित थे। 2010-11 से 2011-12 के दौरान कोई अधिसूचनाएं जारी नहीं की गई थी।

इस प्रकार, क.भ.नि.सं. अपनी योजनाओं के स्वेच्छापूर्वक आवर्तन के बारे में बहुत उत्साहजनक नहीं था।

क.भ.नि.सं. ने मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की (नवम्बर 2013)

3.4 निरीक्षण

निरीक्षक नियमावली का पैरा 11 प्रावधान करता है कि अधिनियम तथा योजनाओं के शीघ्र एवं प्रभावशाली कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत आवृत्त प्रत्येक स्थापना का आवश्यकतानुसार पूर्णतया तथा अक्सर निरीक्षण किया जाना चाहिए। सामान्यतया, स्थापना (छूट प्राप्त और बिना छूट प्राप्त) के नियमित निरीक्षण को 4 माह में कम से कम एक बार संचालित किया जाना चाहिए तथा निरीक्षकों द्वारा एक माह में न्यूनतम 45 निरीक्षणों का अनुरक्षण करना चाहिए।

क्षे.का./उप.क्षे.का. में अभिलेखों के नमूना परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि स्थापनाओं के अपेक्षित संख्या में निरीक्षणों का संचालन नहीं किया गया था। निम्नलिखित राज्यों में अपर्याप्त निरीक्षण पाए गए थे।

राज्य	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां
कर्नाटक	उप क्षे.का., बैंगलौर-आवृत्त होने से लेकर अब तक 36 स्थापनाओं का निरीक्षण नहीं किया गया था जिसमें से सात स्थापनाओं ने उल्लंघन किया था।
उत्तर प्रदेश	वर्ष 2006-07 से 2011-12 तक के लिए क्षे.का.कानपुर तथा उप.क्षे.का. वाराणसी, बरेली में आवृत्त स्थापनाओं के निरीक्षण हेतु लक्ष्य निश्चित नहीं किया गया था।
छत्तीसगढ़	क्षे.का. रायपुर-2006-09 के दौरान आवृत्त स्थापनाओं का निरीक्षण संचालित नहीं किया गया था 2009-12 के दौरान निरीक्षण में कमी की प्रतिशतता 82 से 84 *प्रतिशत* थी।
पश्चिम बंगाल	कोलकाता क्षेत्र में 2009-12 के दौरान लक्षित 14,129 निरीक्षणों में से केवल 27 *प्रतिशत* निरीक्षणों का संचालन किया गया था। इसके अतिरिक्त, उप क्षे.का., जांगीपुर के मामले में क्रमशः वर्ष 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 हेतु कमी की प्रतिशतता 86 प्रतिशत, 87 *प्रतिशत* और 96 *प्रतिशत* थी।
हरियाणा	2006-10 के दौरान, क्षे.का. फरीदाबाद द्वारा आवृत्त स्थापनाओं के निरीक्षण हेतु लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। वर्ष 2010-11 हेतु क्षे.का. फरीदाबाद द्वारा 7818 स्थापनाओं के निरीक्षणों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके प्रति 1668 (34 प्रतिशत) स्थापनाओं का निरीक्षण संचालित किया गया था। 2011-12 हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। वर्ष 2009-10 से 2010-11 तक के लिए क्षे.का. गुडगांव ने 5544 स्थापनाओं के निरीक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया था। इस लक्ष्य के प्रति केवल 1782 (32 प्रतिशत) स्थापनाओं का निरीक्षण हुआ था। वर्ष 2011-12 हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।
राजस्थान	क्षे.का. जयपुर तथा उप. क्षे.का. उदयपुर, जोधपुर एवं कोटा में 2011-12 के दौरान लक्षित 6960 निरीक्षणों में से केवल 2212 (31.78 प्रतिशत) के निरीक्षण का संचालन किया गया था।

मामला अध्ययनः अपर्याप्त निरीक्षण

क्षे.का., कोलकाता, उ.क्षे.का. पार्क स्ट्रीट एवं बैरकपोर में, लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान 4357 नई स्थापनाएं जोड़ी गई थीं। तथापि, कोड संख्याएं प्राप्त करने के पश्चात, 1035 नव आवृत्त स्थापनाएं या तो बिना कोई योगदान कर या फिर केवल एक या दो माह हेतु योगदान करने के पश्चात गायब हो गई थी। लेखापरीक्षा द्वारा मांगे जाने के बावजूद, क्षे.का., कोलकाता, इन स्थापनाओं में किए गए निरीक्षण की पुष्टि हेतु कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाया।

इस प्रकार, स्थापनाओं के निरीक्षण, लक्ष्यों से कम थे, जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के संबंध में स्थापनाओं पर अपर्याप्त नियंत्रण रहा।

अनुशंसाः *क.भ.नि.सं. को लक्ष्यों को ध्यान से मॉनीटर करना चाहिए तथा स्थापनाओं के नियमित निरीक्षण तथा सर्वेक्षणों के संचालन हेतु अनुपालना सुनिश्चित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, इनसे अपेक्षित है कि यह स्वेच्छापूर्वक आवर्तन के लिए आगे आने वाली स्थापनाओं का स्वागत करें और समयबद्ध तरीके से अधिसूचनाओं को जारी करना सुनिश्चित करें।*